विद्युत बिलों ...
(विद्युत चोरी सूचना टोल फ्री नं0 1800 180 4185/फैक्स संख्या 0135-27...

मुख्यालय

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून web : www.ueppcb.uk.gov.in

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

M/s UJVN Limited द्वारा जिला–देहरादून मे प्रस्तावित **Lakhwar Multipurpose Project (300 MW)** हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरुप निम्नवत् है:–

1. जिलाधिकारी, जनपद, देहरादून या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 25–सुभाष रोड, देहरादून मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–115, नेहरु कालोनी, देहरादून; कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादुन; कार्यालय जिला पंचायत, देहरादुन; जिला उद्योग केन्द्र, देहरादुन के कार्यालय में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति **www.ueppcb.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है। M/s UJVN Limited द्वारा जिला–देहरादून में प्रस्तावित **Lakhwar Multipurpose Project (300 MW)** हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई की तिथि दिनांक 27.03.2020 को परियोजना स्थल में निर्धारित की गयी थी, परन्तु कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत लाकडाउन के कारण लोक सुनवाई दिनांक 17.03.2020 को स्थगित कर दी गयी थी।

उक्त लोक सुनवाई की तिथि दिनांक 30.09.2020 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–115, नेहरु कालोनी, देहरादून में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

Note:- जन सुनवाई कोविड–19 महामारी से सुरक्षा हेतु भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइडलाईनों जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क, हैन्ड सैनिटाईजार व आरोग्य सेतु ऐप का पालन करते हुये सुनिश्चित की जायेगी।

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बडनू तक कि.मी
कटान का कार्य

निविदाएं दिनांक 25
जायेगी। अन्य शर्तें
के पास सुरक्षित होगा
एवं स्टाम्प पेपर की

पत्रांक : 555/न.ख.ह./

महामहिम राज
विकासखण्ड बह
के निरीक्षण कर
बहादराबाद हरि
दर से अधोहस्त
इच्छुक वाहन व
साथ रू. 10,00
डिपोजिट के रूप
करनी होगी। क
सदस्य द्वारा वा
कार्यालय में खो

1. वाहन का प
का इनशोरे
2. वाहन में के
विभाग द्वारा

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी

Dainik Jagran. 28.8.2020